परिपत्र संख्या 240/34/2024-जीएसटी

एफ. संख्या सीबीआईसी-20001/14/2024-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

तारीख : 31 दिसंबर , 2024

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/, केन्द्रीय कर।
सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालकों द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने संबंध में स्पष्टीकरण, जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत निर्दिष्ट सेवाएं उनके मंच के माध्यम से प्रदान की जाती हैं– के संदर्भ में ।

दिनांक 17.12.2021, परिपत्र संख्या 167/23/2021 - जीएसटी का संदर्भ प्राप्त करें, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालकों (जिन्हें बाद में "ईसीओ" कहा गया है) को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (जिसे बाद में "सीजीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9(5) के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है, उन्हें अपने मंच के माध्यम से रेस्तरां सेवाओं (धारा 9(5) के तहत अधिसूचित सेवाएं) की आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को वापस करने की आवश्यकता नहीं है।इस संबंध में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत रेस्तरां सेवाओं के अलावा, अन्य सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में आईटीसी, यदि कोई हो, को वापस करने की आवश्यकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2. इस मुद्दे की जांच की गई है और क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168(1) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मुद्दे को निम्नानुसार स्पष्ट करता है:

मुद्दे	स्पष्टीकरण
क्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालकों, जिसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत की गई आपूर्ति की सीमा तक अपने इनपुट और इनपुट सेवाओं पर आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करने के लिए उत्तरदायी है।	1. ईसीओ, जिसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है, दो तरीके से आपूर्ति कर रहा है: i . धारा 9(5) के तहत अधिसूचित आपूर्ति जिसके लिए वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जैसे कि वह उक्त सेवाओं का आपूर्तिकर्ता है। ii. अपना इलेक्ट्रॉनिक मंच उपलब्ध कराकर अपनी सेवाएं प्रदान करना जिसके लिए वह मंच उपयोगकर्ताओं से मंच शुल्क/दलाली आदि लेता है। 2. उपर्युक्त 1(ii) में उल्लिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए, ईसीओ इनपुट के साथ-साथ इनपुट सेवाएं भी प्राप्त करता है जिसके लिए वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाता है। 3. परिपत्र संख्या 167/23/2021-जीएसटी तारीख 17.12.2021 के प्रश्न संख्या 6 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि ईसीओ को रेस्तरां सेवाओं के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिस पर वह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत कर का भुगतान करता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा 9(5) के अंतर्गत कर देयता के भुगतान के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा धारा 9(5) के अंतर्गत संपूर्ण कर देयता का भुगतान नकद में करना होगा। 4. परिपत्र संख्या 167/23/2021-जीएसटी तारीख 17.12.2021, के प्रश्न संख्या 6 में उल्लिखित सिद्धांत, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत निर्दिष्ट अन्य सेवाओं के संबंध में की गई आपूर्ति पर भी लागू होता है। 5. इसको ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालक, जो निर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (5) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (5) के तहत की गई आपूर्ति की सीमा तक सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (1) या धारा 17 (2) के तहत आनुपातिक रूप से अपने इनपुट और इनपुट

	सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। 6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ईसीओ को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत आपूर्ति के कारण पूर्ण कर देयता का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक नकद बही खाते के माध्यम से करना होगा। ऐसी आपूर्तियों को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट और इनपुट सेवाओं के संबंध में उनके द्वारा प्राप्त क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत ऐसी कर देयता के निर्वहन के लिए नहीं किया जा सकता है। जबकि, इस तरह के क्रेडिट का उपयोग उनके द्वारा अपने खाते पर सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में कर देयता के निर्वहन के लिए किया जा सकता है।

3. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

4. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

(संजय मंगल)

प्रधान आयुक्त (जीएसटी)